मुद्रक - भारती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

# फर्द अहकाम

(नियम (26)

अदालत ...उपखण्ड अधिकारी... सिकराय ...

...[illegible]... बनाम ...[illegible]...

इस मुकदमा ...अस्थाई निषेधाज्ञा... मु० नं० ...20/16...

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अस्थाई निषेधाज्ञा (TI) पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का मनन किया। इस प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नं० 307, 303/2 वाके ग्राम रेटा तह० सिकराय के सम्बन्ध में विवाद है। इस प्रकरण में पूर्व में दि० 13-5-16 को इस न्यायालय द्वारा अन्तरिम TI जारी की जा चुकी है कि उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रहेगी। न्यायहित में इस प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम TI को अंतिम फैसला बाद तक के लिये कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि खसरा नं० 307, 303/2 वाके ग्राम रेटा तह० सिकराय के सम्बन्ध में पूर्व में दि० 13-5-16 को इस प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा जारी की गई अन्तरिम TI को अंतिम फैसला बाद तक के लिये कन्फर्म किया जाता है एवं उभयपक्षकारान इस उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखेंगे। पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुना दिया गया है। | |